

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

01/06/2016

क्रमांक :प.17(2)शिक्षा-2/2003

जयपुर, दिनांक : 01/06/2016

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग.....
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला.....

विषय : माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों लेवल-1 व लेवल-2 के सैट परिवर्तन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2016, 09.05.2016 एवं 31.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिेश अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन की प्रक्रिया इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2016, 09.05.2016 एवं 31.05.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

अतः उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा गठित परिवेदना समिति भी परिवेदनाओं का निस्तारण उक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही करेगी। यदि सैट अप परिवर्तन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत किसी अधिकारी द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण कार्यवाही से परिवेदना उत्पन्न हुई हो तो समिति सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित करेगी।

भवदीय

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जोधपुर/जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

01/06/16